राज्य सभा

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

अतारांकित प्रश्न संख्या 3475

25 मार्च, 2021 को जवाब दिया

हस्तशिल्प कारीगरों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तैयार करना

3475. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास हस्तशिल्प कारीगरों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल और भौगोलिक वितरण से संबधित डाटा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या का आकलन किया है जो लॉकडाउन के दौरान बंद हो गए थे, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) हानि में चल रहे अथवा बंद उद्यमों के लिए क्या-क्या उपाय प्रस्तावित है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) **:** जी हां महोदय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के पास पहचान पहल के अंतर्गत हस्तशिल्प कारीगरों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल और भौगोलिक वितरण से संबंधित डाटा है। अभी तक पहचान पहल के अंतर्गत कुल 26.52 लाख कारीगर पंजीकृत किए गए हैं। हस्तशिल्प कारीगरों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ख) एवं (ग): राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) तथा खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन (केवीआईसी) द्वारा प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत स्थापित इकाइयों सहित एमएसएमई पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने के लिए अध्ययन किए गए हैं।

क. कोविड-19 महामारी के दौरान एनएसआईसी योजनाओं के लाभार्थियों के सामने आ रही कठिनाइयों तथा कार्यात्मक क्षमताओं को समझने के लिए एनएसआईसी द्वारा संचालित ऑनलाइन अध्ययन के मुख्य परिणाम निम्न प्रकार से हैं:-

i. 91% एमएसएमई कार्यात्मक पाए गए हैं।

ii. पाया गया कि एमएसएमई द्वारा पाँच मुख्य समस्याओं लिक्यूडिटी (55% इकाइयां), नए ऑर्डर (17% इकाइयां), श्रम (9% इकाइयां), लोजीस्टिक (12% इकाइयां) और कच्चे माल की उपलब्धता (8% इकाइयां) का सामना किया जा रहा है।

ख. केवीआईसी द्वारा किए गए अध्ययन के परिणाम निम्न प्रकार से हैं:

i. पीएमईजीपी योजना के 88% लाभार्थियों ने सूचित किया है कि वे कोविड-19 के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं जबकि शेष 12% ने कहा है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान लाभान्वित हुए हैं।

ii. 88% प्रभावितों में से, 57% ने कहा कि इस अवधि के दौरान कुछ समय के लिए उनकी इकाइयां बंद हुई थी, जबकि 30% ने उत्पादन एवं आमदनी में गिरावट रिपोर्ट की है।

iii. 12% लाभान्वितों में से, 65% ने कहा कि चूंकि उनकी इकाइयां रिटेल तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में थी इसलिए उनके व्यापार में वृद्धि हुई थी और लगभग 25% ने कहा कि चूंकि वे आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के कार्य में लगे हुए थे इसलिए उनकी इकाइयां लाभान्वित हुई।

iv. कर्मचारियों को नियमित वेतन भुगतान के प्रश्न पर, इस अवधि के दौरान लगभग 46.60% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें पूर्ण वेतन का भुगतान हुआ है, 42.54% ने कहा कि उन्हें आंशिक रूप से भुगतान हुआ है और 10.86% ने सूचित किया कि उन्हें कुछ समय के लिए वेतन का भुगतान नहीं हुआ है।

v. अधिकांश लाभार्थियों ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता, ब्याज में छूट और उनके उत्पादों के लिए विपणन सहायता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

योजना में सुधार हेतु सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं:

i. आवेदन की प्रक्रिया जिसमें बैंक स्वीकृति तथा संवितरण शामिल है, को ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत द्वारा तेज़ और पारदर्शी बनाया गया है।

ii. अप्रैल, 2020 से, वित्तीय बैंकों को प्रस्तावों/आवेदनों की सिफ़ारिश करने में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति (डीएलटीएफ़सी) की भूमिका को समाप्त करके उद्यमियों के चयन की प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। संशोधित परिदृश्य में, अब भारतीय बैंकर्स संघ द्वारा अनुमोदित स्कोर कार्ड मॉडल के आधार पर क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सीधे वित्तीय बैंकों को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, जिससे कुल अनुमोदन अवधि कम हो गई है।

iii. उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन, जो बैंकों द्वारा ऋण संवितरण से पहले अनिवार्य है, को अक्तूबर, 2019 से ऑनलाइन किया गया है ताकि लाभार्थियों को प्रशिक्षण तथा ऋण शीघ्र प्रदान किया जा सके।

iv. इच्छुक आवेदकों के लिए दो दिनों का निशुल्क ऑनलाइन पूर्व-ईडीपी प्रशिक्षण आरंभ किया गया है।

v. विविध इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु गतिविधियों की सूची को विस्तारित किया गया है।

vi. क्रियान्वयन एजेंसियां जैसे केवीआईसी, राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) आवेदकों को कॉल सेंटरों, ऑनलाइन शिक्षण के साथ-साथ बैंकिंग तथा विपणन विशेषज्ञों सहित हेल्प डेस्क के साथ सहायता प्रदान कर रहे हैं।

vii. प्रत्येक रविवार को क्षेत्र/उद्योग वार वेबिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें 300,000 से अधिक प्रत्याशित आवेदकों के साथ उद्योग विशेषज्ञ और बैंक शामिल हैं।

viii. मंत्रालयों तथा केवीआईसी द्वारा बैंकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही है।

ix. मंत्रालय द्वारा जून, 2020 में 68 नियंत्रण कक्षों के साथ एक एकीकृत, मजबूत और प्रोद्यौगिकी संचालित वेब आधारित प्लेटफॉर्म champions.gov.in आरंभ किया गया है, ताकि फील्ड स्तर पर एमएसएमई तथा अन्य संबंधित पणधारकों की शिकायतों का निपटान शीघ्र किया जा सके।

अनुबंध-I

दिनांक 25.03.2021 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3475 के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध

क्र.सं.	**राज्य**	**नामांकित कारीगर**
1.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2219
2.	आंध्र प्रदेश	58739
3.	अरुणांचल प्रदेश	9401
4.	असम	77741
5.	बिहार	130394
6.	छतीसगढ़	12908
7.	दिल्ली	15175
8.	गोवा	9651
9.	गुजरात	123039
10.	हरियाणा	32109
11.	हिमाचल प्रदेश	14590
12.	जम्मू एवं कश्मीर	97822
13.	झारखंड	99122
14.	कर्नाटक	32614
15.	केरला	46767
16.	मध्य प्रदेश	80960
17.	महाराष्ट्र	51236
18.	मणिपुर	69432
19.	मेघालय	3427
20.	मिजोरम	3841
21.	नागालैंड	8379
22.	ओडिशा	175632
23.	पुदुचेरी	14327
24.	पंजाब	30917
25.	राजस्थान	118730
26.	सिक्किम	2717
27.	तमिलनाडु	56578
28.	तेलांगना	37864
29.	त्रिपुरा	13485
30.	उत्तर प्रदेश	935844
31.	उत्तराखंड	35390
32.	पश्चिम बंगाल	250937
	कुल	**2651987**

***